

कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया(म.प्र.)

टेलीफोननं. 07522-234001

Website- www.datiamedicalcollege.com

E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com & datiamedicalcollege2018@gmail.com

पता - 29बटालियन के पास, एन.एच. 44,

जिलादतिया, म.प्र. पिनकोड 475661

क्रमांक-6310/स्था.राज/द.चि.म./2024

दतिया, दिनांक- 26/07/2024

// विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप एफ 2-53/2017/1/55, दिनांक 12/01/2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 1105 एफ 2-45/2010/1/55, भोपाल दिनांक 24/07/2024 तथा कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा पत्र क्रमांक 984/स्था./राज/संचिशि/2024 भोपाल दिनांक 26/07/2024 के माध्यम से दिये गये निर्देश के परिपालन में एन.एम.सी./एम. सी. आई के मापदण्ड अनुसार Recognition के प्रतिपूर्ति के क्रम में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया में शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भोपाल द्वारा शैक्षणिक संवर्ग की पदोन्नति के पदो हेतु जारी संशाधित अनुसूची दिनांक 11/04/2022 के अनुसार चिकित्सा शिक्षकों के पदोन्नति के रिक्त ऐसे पद जिनके विरुद्ध संस्था में कनिष्ठ पद पर चिकित्सा शिक्षक कार्यरत है, उन पदों की पूर्ति करने हेतु संस्था स्तर इन-हाउस विज्ञप्ति जारी किया जाकर एन.एम.सी. मापदण्ड की पूर्ति के लिये संस्था में नियुक्त होकर कार्यरत इच्छुक एवं शासन/एन.एम.सी. द्वारा निर्धारित अद्यतन टी.ई.क्यू. फरवरी 2022 एवं यू.जी. एम. एस.आर.-2020/2023 विनियमावली अनुसार पात्र चिकित्सा शिक्षकों के आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पदो का विवरण मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्तमान में प्रभावशाली पदोन्नति आरक्षण रोस्टर लागू करने के उपरांत निम्नानुसार है:-

तालिका-1-इन-हाउस विज्ञप्ति हेतु पदवार एवं विभागवार पदोन्नति के रिक्त पद :-

स.क्र.	विभाग	प्राध्यापक				सह -प्राध्यापक			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	एनेस्थिसिया	1	0	0	0	0	0	0	0
2	फिजियोलॉजी	0	0	0	0	1	0	0	0
3	आटो रिहिनो लरग्योलॉजी (ENT)	1	0	0	0	0	0	0	0
4	रेस्पिरेटरी मेडिसिन (टी.बी.एण्ड चेस्ट)	0	0	0	0	1	0	0	0
5	ईमरजेंसी मेडिसिन	1	0	0	0	1	0	0	0
6	फोरेंसिक मेडिसिन	1	0	0	0	0	0	0	0
7	जनरल मेडिसिन	1	0	0	0	0	0	0	0
8	पी.एम.आर.	1	0	0	0	1	0	0	0
9	रेडियोडायग्नोसिस	1	0	0	0	1	0	0	0
10	नेत्र रोग	1	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	8	0	0	0	5	0	0	0
GRAND TOTAL= 13		08				05			

- पदोन्नति के पदों हेतु नियुक्तियों, पदोन्नति आरक्षण नियमों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायलय में प्रचलित प्रकरण के अध्याधीन होगी।
- उपरोक्त रिक्त पदों के लिये संस्था में नियुक्त होकर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक के आवेदन ही मान्य होंगे।

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC - अनुसूचित जाति, ST - अनुसूचित जनजाति, OBC - अन्य पिछड़ा वर्ग, B- बैकलॉग उम्मीदवार हेतु आरक्षित है।
पदों की संख्या कम/अधिक की जा सकती है।

विज्ञप्ति की शर्तों में कभी भी संशोधन किया जा सकेगा।

1. शैक्षणिक अर्हतायें :-

- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिये निर्धारित अर्हता एवं अनुभव दिनांक 14 फरवरी 2022 के अनुसार।
- आयु सीमा एवं वेतनमान :-

स. क्र.	पदनाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	वेतनमान
1	प्राध्यापक	35 वर्ष	62 वर्ष	अकादमिक स्तर -14, मैट्रिक्स वेतन -1,44,200 /- (6वें वेतनमान 37400-67000 + ग्रेड-पे 10000 + डी.ए.के अनुरूप)
2	सह-प्राध्यापक	30 वर्ष	62 वर्ष	अकादमिक स्तर -13 A, मैट्रिक्स वेतन -1,31,400 /- (6वें वेतनमान 37400-67000 + ग्रेड-पे 9000 + डी.ए.के अनुरूप)

टीप :- आयु की गणना आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आधार मानकर गणना में ली जावेगी। पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय -समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा एवं रिक्त पदों हेतु एनएमसी नई दिल्ली के मापदण्ड अनुसार पद की अर्हताएं विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक पूर्ण करना आवश्यक है।

- जाति प्रमाण पत्र :- आरक्षण का लाभ मध्यप्रदेश के निवासियों को मध्यप्रदेश शासन के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
- आर्हतायें :-
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा शैक्षणिक पद पर विशेष के लिए निर्धारित अर्हता, आवेदन करने की पात्रता उन्ही चिकित्सकों की मान्य होंगे, जो शासन/एन.एम.सी. द्वारा निर्धारित अद्यतन टी.ई.क्यू नियमावली./मापदण्ड अनुसार अर्हताएं पूरी करते हो/करती हों एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में नियमित सेवा में नियुक्त होकर कार्यरत हो।

• निरर्हतायें :-

1. विकृत चित्त वाला होने पर।
2. दुष्चरित्र होने पर।
3. शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हों।
4. नियुक्ति के लिए प्रयास /अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास /अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जाएगा।
5. विवाह संबंधी - जिस उम्मीदवार से न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। कोई भी ऐसी महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नि/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। दिनांक 26/01/2001 के पश्चात जिस उम्मीदवार के जीवित संतानों की संख्या 02 से अधिक हो, वह चयन के लिए अपात्र होंगे, परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा दिनांक 26/01/2001 के पश्चात आगामी प्रसव में दो या अधिक संतानों का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं होगा।
6. कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाए जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

7. कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणाम स्वरूप प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के अपराध पर दोषी सिद्ध ठहराया गया हो।
8. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोषी सिद्ध हुआ हो।
9. स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।


● **अन्य शर्तें**

1. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिए अर्हताधारी हों सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिए उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण –पत्र नहीं लेना होगा।
2. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय –समय पर सौंपें गए प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
3. आवेदक का चयन होने पर उससे 65 वर्ष की आयु अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो संबंधित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सेवा देनी होगी। आवेदक को इस बावत सम्यक रूप स्टांपित एक बॉण्ड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।
4. चयनित उम्मीदवार की सेवायें किसी भी समय महाविद्यालय अथवा आपके द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उस एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकती है।
5. चयनित उम्मीदवार के द्वारा 03 वर्ष की अनिवार्य सेवा अवधि के संबंध में बाण्ड पत्र प्रस्तुत करने की शर्त को कार्यकारिणी समिति के निर्णय उपरांत ही लागू किया जाएगा।
6. यह नियुक्ति इस स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन होगी संस्था आपकी सेवा शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन कर सकेंगी।
7. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवायें अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी।
8. चयनित चिकित्सक का एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पी.एम.टी/ नीट यू.जी प्रवेश परीक्षा एवं एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्री पी.जी. /नीट पी.जी. प्रवेश परीक्षा से संबंधित भर्ती घोटाले/फर्जीवाड़े में किसी भी स्तर पर आपकी संलिप्तता पाई जाती है अथवा आपके विरुद्ध कार्यवाही लंबित/प्रचलन में पाई जाती है तो आपकी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी, और ऐसी स्थिति में आपको आर्हरित किया हुआ वेतन एवं अन्य भत्ते 8 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से शासकीय कोष में जमा कराई जावेगी।
9. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10.08.2024 एवं आवेदन का पता –कार्यालय अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया म.प्र. हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10.08.2024 सायं 05:00 बजे तक कार्यालय अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया म.प्र. में प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्ति गत रूप से कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से कार्यालय अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया, म.प्र. में चिकित्सकीय संवर्ग हेतु आवेदन एवं आवेदित पद का नाम और आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. चयन प्रक्रिया/प्रकाशित विज्ञापित में यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो सक्षम प्राधिकारी को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।
12. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र एवं भर्ती हेतु निर्धारित प्रोराटा का प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया, म.प्र. वेबसाईट www.datiamedicalcollege.com पर उपलब्ध है।

नोट:- आवेदन शुल्क रूपये 1000/- (अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हेतु) रूपये 750/- (आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हेतु) आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट - Government Medical College Autonomous Society Datia के नाम से देय होगा अथवा ऑनलाइन पेमेंट (NEFT) के माध्यम से भुगतान कर भुगतान की पावती / डिमांड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
संस्था का खाता कमांक- 0638001700062928, IFSC.Code- PUNB0063800.

महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हताओं की जाँच स्वयं कर लें और अर्हतायें की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अपात्र पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जाँच नहीं हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो कि आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

S. S. S.


26/07/24
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
दतिया मध्यप्रदेश